भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2160
दिनांक 12 फरवरी, 2026

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी आयात निर्भरता में कमी

2160. **श्री दर्शन सिंह चौधरीः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा व्यय को कम करने के उद्देश्य से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कोई दीर्घकालिक रणनीति अपनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के संबंध में पिछले पांच वर्षों के दौरान आयात निर्भरता के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है और ऐसी निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा घरेलू अन्वेषण और उत्पादन, मुक्त क्षेत्र लाइसेंसिंग नीति, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और संपीड़ित बायोगैस जैसे वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा दक्षता तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देकर आयात निर्भरता कम करने के लिए कोई विशिष्ट कार्य योजना लागू की गई है या प्रस्तावित है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) सरकार ने देश में घरेलू कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन बढ़ाने और तेल और गैस के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई नीतिगत फ़ैसले लिए है और कदम उठाए हैं। इसका उदेश्य देश की उर्जा सुरक्षा को मज़बूत करना और विदेशी विनिमय खर्च कम करना है। इन फ़ैसलों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार शामिल हैं:

i. हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए उत्पादन साझाकरण संविदा (पीएससी) व्यवस्था के अंतर्गत नीति, 2014;
ii. खोजे गए लघु क्षेत्र नीति, 2015;
iii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाईसेंसिंग नीति (एचईएलपी), 2016;
iv. पीएससीज के विस्तार हेतु नीति, 2016 और 2017;
v. कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए नीति, 2017;
vi. राष्ट्रीय डेटा भंडार की स्थापना, 2017
vii. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम, 2017 के तहत तलछटी बेसिन के अमूल्यांकित क्षेत्रों का अनुमोदन;

viii. पूर्व नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (पूर्व-एनईएलपी) के अंतर्गत खोजे गए क्षेत्रों और अन्वेषण ब्लॉकों के लिए उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी) के विस्तार हेतु नीतिगत ढाँचा, 2016 और 2017;

ix. तेल/गैस की उन्नत पुनप्राप्ति विधियों को बढ़ावा देने/प्रोत्साहित करने की नीति, 2018;

x. मौजूदा उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी) के अंतर्गत अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और संदोहन के लिए नीतिगत ढाँचा, कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संविदाएं और नामांकन क्षेत्र, 2018;

xi. प्राकृतिक गैस विपणन सुधार, 2020;

xii. बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए श्रेणी II और III बेसिन के अधीन ओएएलपी ब्लॉकों में चरण-I में कम रॉयल्टी दरें, शून्य राजस्व हिस्सेदारी (अप्रत्याशित लाभ तक) और कोई वेधन प्रतिबद्धता नहीं, 2019;

xiii. अपतटीय क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) "निषिद्ध" क्षेत्र को मुक्त करना, जिसे पहले वर्ष 2022 तक अन्वेषण के लिए अवरुद्ध किया गया था;

xiv. व्यापार में सुगम्यता, संविदात्मक स्थिरता और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में संशोधन।

(ख) और (ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान कच्चे तेल में आयात निर्भरता 85.5%-88.6% और प्राकृतिक गैस में 44%-50% के बीच रही है। सरकार ने घरेलू अन्वेषण और उत्पादन, वैकल्पिक ईंधन जैसे जैव ईंधन, ग्रीन हाइड्रोजन, संपीड़ित बायोगैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), ऊर्जा दक्षता और विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा देकर आयात निर्भरता को कम करने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है, जिसमें,अन्य बातों के साथ-साथ,इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के तहत 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करना और इथेनॉल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए फीडस्टॉक के दायरे को व्यापक बनाना शामिल है। सरकार ने 2016 में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) शुरू की है। इस नीति के अंतर्गत, खुला रकवा लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) शुरू की गई थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान, ओएएलपी बोली राउंड VIII और IX के अंतर्गत देश में 1,72,912.95 वर्ग किलोमीटर को कवर करने वाले 38 अन्वेषण ब्लॉक प्रदान किए गए हैं। संधारणीय विमानन ईंधन (एसएएफ) सहित उन्नत जैव ईंधन के लिए परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण (पीएम जी-वन) योजना शुरू की गई है। संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) को बढ़ावा देने के लिए, किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (एसएटीएटी) योजना शुरू की गई है, और बायोमास एकत्रीकरण का समर्थन करने और सीबीजी संयंत्रों को मौजूदा पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ने के लिए बीएएम (बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी) और डीपीआई (प्रत्यक्ष पाइपलाइन अवसंरचना) जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) को 2030 तक 5 एमएमटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए एलएनजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं, जिनमें,अन्य बातों के साथ-साथ, एलएनजी टर्मिनलों और एलएनजी स्टेशनों सहित एलएनजी बुनियादी ढांचे की स्थापना शामिल है। रिफाइनरियों को सरकार की पीएटी (परफार्म, अचीव और ट्रेड) ऊर्जा दक्षता सुधार योजना में शामिल किया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने एफएएमई II राजसहायता योजना के तहत पीएसयू तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) को 8,932 इलेक्ट्रिक वाहन कनेक्शन स्टेशन (ईवीसी) लगाने के लिए 873.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा, ओएमसी ने अपने आरओ पर अपनी निधि से 18,706 ईवीसी लगाए हैं। देश भर में कुल 27,638 ईवीसी लगाए गए हैं; जिनमें से 20,886 ईवीसी चालू हो चुके हैं।
